



2026:AHC:17442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 872 वर्ष 2026

मो. इरशाद

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विनय कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की बात सुनी।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने कहा है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम हैं। वे कोई प्रतिवाद दाखिल नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनकी नियुक्ति प्रारंभ में 11.12.2006 को सिपाही के पद पर हुई थी और उन्हें वर्ष 2020 में मुख्य सिपाही के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उन्हें कुशीनगर जिले में कार्यभार सौंपा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, द्वितीय प्रतिपक्षी द्वारा 19.06.2020 को याचिकाकर्ता का महोबा से राजकीय रेलवे पुलिस झांसी में तबादला करने का आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ता ने 20.06.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, द्वितीय प्रतिपक्षी ने फिर से याचिकाकर्ता का राजकीय रेलवे पुलिस झांसी से कुशीनगर में तबादला करने का आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता ने 28.10.2020 को उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पिता का 2013 में निधन हो गया था और उनकी माता हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी आयु लगभग 65 वर्ष है तथा उनकी पत्नी भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता का तबादला हमीरपुर से कुशीनगर कर दिया गया था।

5. उक्त स्थानांतरण आदेश पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ता ने रिट ए दायर की। याचिका संख्या 13476 वर्ष 2025, जिसका निस्तारण 10.09.2025 को हुआ था, जिसमें प्रतिपक्षी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुसरण में, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना), लखनऊ द्वारा 12.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को वैध नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया है।

6. याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उनका तबादला कुशीनगर कर दिया गया है, जबकि हमीरपुर यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर दूर है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि उन्हें निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया जाए। उनका यह भी निवेदन है कि पारिवारिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि चाहे कुछ भी हो जाए, याचिकाकर्ता किसी विशेष स्थान पर तैनाती के लिए जोर नहीं दे सकता। चूंकि याचिकाकर्ता का पद स्थानांतरणीय

है, इसलिए याचिकाकर्ता को उस स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा जहां उसका स्थानांतरण होता है।

8. मैंने बार के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि कुशीनगर में तबादले के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 13476 वर्ष 2025 दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय प्रतिपक्षी द्वारा 12.12.2025 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। स्पष्टतः, आदेश इस तथ्य पर आधारित है कि याचिकाकर्ता का पद तबादला योग्य है, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे, उसकी पारिवारिक समस्याओं, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि पर विचार नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे पर विचार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. फिर भी, चूंकि विचाराधीन आदेश इस तथ्य पर आधारित है कि मुख्य सिपाही के 791 पद हैं और केवल 383 ही कार्यरत हैं, इसलिए याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एक अलग प्रकरण है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि, इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पत्नी और माता से संबंधित चिकित्सा कारणों से स्थानांतरण की मांग की है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाता है:-

(क) द्वितीय प्रतिपक्षी, अतिरिक्त द्वारा दिनांक 12.12.2025 को पारित आदेश।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (स्थापना) लखनऊ को इस पद से अलग रखा गया है।

(ख) प्रकरण को नए आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया है।

12. यदि याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो उक्त कार्यभार ग्रहण करना पुनर्विचार के बाद पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

27 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)